

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

विभागीय ज्ञापांक 6040 दिनांक 27.12.18 द्वारा चारित्री अभिलेखन की पुरानी व्यवस्था इस शर्त पर बनाये रखने का निदेश है कि चारित्री अभिलेखन अलग अलग प्रपत्र में वित्तीय वर्षवार हो तथा चारित्री अभियुक्त अंकन हेतु सभी संवर्ग के कर्मियों के लिए प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का अभियुक्त अंकन निश्चित रूप से हो।

उक्त के आलोक में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त सभी संवर्ग के कर्मियों का चारित्री अभियुक्त अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :-

क्र०	स्व मूल्यांकन कर्मी	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1	हस्तकरघा प्रक्षेत्र तक० पर्यवेक्षक एवं समकक्ष/ वरीय अनुदेशक/दक्ष बुनकर/ सहायक पर्यवेक्षक/कुशल शिल्पी/लिपिक	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)/प्रभारी पदाधिकारी/ सहायक निबंधक/प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/ कार्यकारी प्रबंधक	संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	निदेशक, ह०रे०
2	रेशम प्रक्षेत्र सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष (समकक्ष वेतनमान का पद)/ पर्यवेक्षक/अधिदर्शक/लिपिक/ अन्य पद	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम)/प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर	संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	निदेशक, ह०रे०
3	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	सहायक निबंधक	संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	निदेशक, ह०रे०
4	बढ़ई मिस्त्री	नियंत्री पदाधिकारी	संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	निदेशक, ह०रे०
5	विभाग में पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त कर्मी (विभाग)	संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी	अवर सचिव/ उप सचिव	उप सचिव/ संयुक्त सचिव/ अपर सचिव
6	निदेशालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मी :-			
	(A) हस्तकरघा शाखा/ सहकारिता शाखा/ रेशम शाखा/स्थापना शाखा	संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी	उप उद्योग निदेशक (रेशम)/संयुक्त उद्योग निदेशक	निदेशक, ह०रे०
	(B) लेखा शाखा	वरीय लेखा पदाधिकारी	उप उद्योग निदेशक/ संयुक्त उद्योग निदेशक	निदेशक, ह०रे०
	(C) निदेशालय अन्तर्गत सभी कोषांग	प्रभारी पदाधिकारी/ आप्त सचिव	उप उद्योग निदेशक/ संयुक्त उद्योग निदेशक	निदेशक, ह०रे०

उपर्युक्त व्यवस्था पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह०/-
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

(क०प०उ०)

ज्ञापांक- 870 /
ह0क0 (10) (विधि)- 17/11

पटना, दिनांक- 03.05.19 /

प्रतिलिपि- संबंधित सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/क्षेत्रीय पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव, उद्योग विभाग/अपर उद्योग निदेशक (तक0)/संयुक्त उद्योग निदेशक/सहायक उद्योग निदेशक (बु0 एवं क्रय)/हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा उद्योग विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, विधि कौषांग/सूचना का अधिकार/जन शिकायत/प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/सहयोग समितियाँ (हस्त0), राजेन्द्रनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 19

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।
५३-